फाइल नं0-71-1002/211/2019

115/2022/1/232667/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 07 नवम्बर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में निर्माणाधीन 500 बेडेड अस्पताल के विस्तारीकरण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1114/71-1-2013-जी-555/2012, दिनांक 06.06.2013 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 13798.11 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष विभिन्न शासनदेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 13108.21 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक 23.02.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में निर्माणाधीन 500 बेडेड अस्पताल के विस्तारीकरण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 17453.16 लाख (रू0 एक अरब चौहत्तर करोड़ तिरपन लाख सोलह हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. प्रश्नगत कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में एक सप्ताह में अवगत कराया जाए।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
7. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर /बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
9. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
10. प्रायोजना का कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जायेगा, जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रायोजना का भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
11. प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
12. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व डिजाइन/ड्राइंग को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
13. प्रायोजनान्तर्गत माडुलर ओ0टी0 , मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम, सी0एम0एस0डी0 सिस्टम, किचेन यूनिट, लाण्ड्री यूनिट, लिफ्ट, डी0जी0 सेट, कम्प्यूटर नेटवर्किंग एंव ट्रांसफार्मर की लागत कोटेशन के अधार पर प्रस्तावित की गयी है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि इनके शिड्यूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाए।
14. बाटआउट सम्बन्धी कार्यों पर सेंटज चार्ज अनुमन्य नहीं किया गया है।
15. प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत की दर से निर्माण की लागत पर जी0एस0टी0 की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र-177/09/2022टीआरयू , दिनांक 03.08.2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यों पर दिनांक 18.07.2022 से जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके दृष्टिग्त प्रभाग द्वारा वर्क टू बी डन में 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दिया गया है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा प्रशा0 विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित करें कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
16. पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है , जिसका समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था को होगा।
17. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए मात्र लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
18. प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है , जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

19. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

20. शासनादेश संख्या-1114/71-1-2013-जी-555/2012, दिनांक 06.06.2013 में उल्लिखित शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या- ई-3-346/दस-2022, दिनांक 03 नवम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः-उपरोक्त, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in